क्रम संख्या–137 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 ई0

अग्रहायण 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 342 / XXXVI (3) / 2021 / 77(1) / 2021

देहरादून, 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित विधेयक, 2021' पर दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 28 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2011) (समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित करने एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) को निरसित करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) पुनर्जीवित अधिनियम, 2021 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

निरसित अधिनियम का पुनर्जीवित होना

2. उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2011) एतद्द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 (अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2020) के निरसन होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत और ऐसा कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता और दायित्व ऐसे जारी रहेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित ही न हुआ हो।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित एवं उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2020 को निरसित किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री